दो साल के बाद नर्सरी कक्षाएं हुई शुरू, बच्चों के स्वागत में की गई सजावट

स्कूल खुलते ही बच्चों के चेहरों पर दिखी रौनक

संवाददाता

गिरिडीह। कोरोना को लेकर बीते 2 वर्ष नर्सरी से लेकर पांचवीं क्लास तक के स्कूल बंद थे। हालांकि कुछ समय तक छठी से क्लास जारी थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद नर्सरी से लेकर सभी क्लास तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई। आज बीएनएस डीएवी समेत कई विद्यालयों में सभी कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। स्कूल जाने के लिए बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। बीएनएस डीएवी समेत कई विद्यालयों में बच्चों के स्वागत के लिए स्कूल को गुब्बारों से सजाया गया था। इस दौरान मास्क का पूरी तरह से अनुपालन देखा गया। कई बच्चों ने कहा कि घर में रहकर वे लोग ऑनलाईन पढ़ाई कर रहे थे, जिस कारण से पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। अब ऑफलाईन रेगुलर क्लासेज शुरू हो गई है, वे लोग अच्छे ढंग से अब पढ़ाई कर सकेंगे। विद्यालय प्रांगण में बच्चों की किलकारियां पुनः दो साल के बाद गुंज उठी। अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेज कर संतुष्ट नजर आ रहे थे। इधर विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी बच्चों के लिए सेनिटाईजर की व्यवस्था की गई थी।

छायाः सन्मार्ग

सड़क हादसों पर अब ऐप से रखी जायेगी नजर

संवाददाता

गिरिडीह। गिरिडीह समेत पूरे राज्य में सड़क हादसे बढे हैं। हर साल राज्य भर में हजारों लोग अपनों को खो देते हैं। हादसों को कम करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी और आईआईटी मद्रास के सहयोग से आईआरएडी (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस) मोबाईल ऐप और वेब एप्लीकेशन तैयार किया है। इस ऐ पके जरीये यह पता चल सकेगा कि सड़क दुर्घटनाएं क्यो हो रही है और किस ईलाके में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है, जिले में कितने ब्लैक स्पॉट, ऐसी तमाम जानकारी ऐप के जरीए डेटाबेस तैयार कर आईआईटी मद्रास तक पहुंचेगी। आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा सड़क हादसों का विश्लेषण किया जायेगा। उनके सुझाव के आधार पर पीडब्ल्यूडी- परिवहन विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर सड़क का डिजाईन और दूसरी खामियों को दूर करेंगे। दरअसल हेल्थ विभाग को भी इससे जोड़ा गया है। सभी पीएचसी और सीएचसी को भी लॉग इन दिया गया है। ये अपने यहां भर्ती मरीज का डिटेल जैसे ही भरेंगे, संबंधित थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना जायेगी। घायलों को ईलाज मिलने में इस ऐप से आसानी होगी।

एक झलक

कांग्रेस युवा अध्यक्ष हसनैन अली ने दिखाई मानवता

गिरिडीह। गिरिडीह कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष मो हसनैन अली ने मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने वाहन से एक घायल वृद्ध महिला को सड़क किनारे से उठाकर अस्पताल पहुंचाने का किया। बताया जाता है कि मो हसनैन अली अपने स्कॉर्पियो वाहन से जामताड़ा जा रहे थे। गांडेय के धोबीया मोड़ के पास एक वृद्ध महिला सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ी थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि उक्त वृद्ध महिला सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। सड़क किनारे कराहते उक्त वृद्ध महिला पर हसनैन अली की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत वहां वाहन रूकवाया। इतना ही नहीं बगैर समय व्यर्थ किए हसनैन ने अपने अन्य साथियों के सहयोग से उक्त वृद्ध महिला को अपने वाहन में बैठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम किया।

कैंसर के लिए इनर व्हील क्लब ने किया जागरूकता कार्यक्रम

गिरिडीह। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।इसमें प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञा सह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महिला विंग गिरिडीह की जिलाध्यक्षा डॉक्टर अमिता रॉय ने महिलाओं के कैंसर से सम्बंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकरियाँ दी । गर्भाशय और स्तन के कैंसर की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए।सामान्य से अलग कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो तुरत ध्यान देना चाहिए ।स्तनों का निरीक्षण स्वयं ही करते रहना चाहिए ।छोटा सा भी गाँठ महसूस होने पर तत्काल डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए । गर्भाशय से यदि सामान्य से अलग रक्तस्राव होने पर या श्वेत स्राव होने पर तुरत डॉक्टर को दिखाने से कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाकर सहजता से ही उसका इलाज किया जा सकता है और कैंसर से होने वाले मृत्युदर को कम किया जा सकता है ।उन्होंने जानकारी दी कि 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को एच. पी.वी.वैक्सीन का दो डोज लगवाकर उन्हें भविष्य में गर्भाशय का कैंसर होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्वसथ जीवनशैली अपनाकर और अल्कोहल का सेवन नहीं करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है । नवजीवन के डॉक्टर तिवारी ने पुरुषों में होने वाले फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्ट्रेट कैंसर की जानकारी दी । मौके पर इनर व्हील क्लब गिरिडीह की वाईस प्रेसिडेंट रेखा तर्वे ,डिस्ट्रिक्ट आई एस ओ रश्मि गुप्ता ,उमा गुप्ता ,राखी टारको,डॉ पायल वर्मा और नमिता स्वर्णकार उपस्थित थी ।

91 लाख की लागत से बनेगी सड़क विधायक ने किया शिल्यान्यास

संवाददाता

बगोदर/गिरिडीह। बगोदर प्रखण्ड के कुसमर्जा में ग्रामीणों द्वारा बहुप्रतीक्षित मांग मैन रोड से भोलगड़हा तक राज्य सम्पोषित योजना के तहत91 लाख से 1.175 कि.मी. पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास बगोदर विधायक विनोद सिंह ने शिलापट्ट का अनावरण व नारियल फोड कर किया। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि विकास कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध हूं। सड़क के निर्माण से बड़ी आबादी लाभान्वित होते है। सर्वजनिक कार्यो में लोगों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए क्यो की आपके घर के सामने सड़क चौडी रहेगी तो आपके ही बच्चे आपके परिवार लोगों को ही फायदा होता है,इस शिल्या न्यास कार्यकर में मुखिया पंचायत समिति सदस्य शनिचर पंडित, नागेश्वर साव महादेव साव मुस्ताक अन्सारी, सरिता महतो, गुलाम सरवर, मनोज पांडेय , संदीप जयसवाल, परमेश्वर महतो,महेंद्र रमन पुरन कुमार महतो संवेदक संजय गुप्ता सहित काफी संख्य में ग्रामीण उपस्थित थे।

वृद्धों के बीच कंबल का वितरण

डुमरी/गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महापरिवार के तत्वावधान में भरकट्टा स्थित नवनिर्मित चित्रगुप्त मंदिर में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिन्हा एवं डुमरी प्रखंड अध्यक्ष श्यामनंदन सिन्हा ने ग्राम के वृद्धाओं को अपने बच्चों तनमय सिन्हा,अर्णव आलोक के हाथों से कंबल का वितरण करवाया। आलोक सिन्हा ने कहा की आज सर्वसमाज में जरूरतमंदों की संख्या बढ़ती जा रही है और सहयोग करने वाले कम होते जा रहे है,ऐसे में सामर्थ्यवान लोगों को आगे बढ़ जरूरतमंदों को बढ़ चढ़कर सहयोग करने की जरूरत है और साथ ही साथ नई पीढ़ी को भी ऐसा करने की सीख देने की जरूरत है।इससे भविष्य में समाज मे ऊंचनीच का भाव कम कम होने में मदद मिलेगा।इस दौरान सुधीर प्रसाद,महेन्द्रकिशोर प्रसाद,दिलीप सिन्हा,निर्भय सिन्हा बिनय सिन्हा,संदीप सिन्हा,रोहित सिन्हा,वैभव सिन्हा, उत्कर्ष सिन्हा,छोटू सिन्हा,सोनिया सिन्हा,वंदना सिन्हा, कविता सिन्हा,बेबी सिन्हा, सुजाता सिन्हा,सीमा सिन्हा, ईशा,मुस्कान,आस्था,भूमि,खुशी,जान्हवी आदि उपस्थित थे।

उर्दू भाषा की उन्नति के लिए चिंतन शिविर का आयोजन

डुमरी/गिरिडीह। उर्दू पढ़ाओ तहरीक झारखंड के बैनर तले गुरूवार को जामतारा पंचायत सचिवालय सभागार में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में डुमरी एवं बगोदर प्रखंड के विभिन्न गांवों के लोग उपस्थित हुए।चिंतन शिविर में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के से निम्नलिखित मांग की गई। जिसमें प्लस टू स्कूलों में उर्दू शिक्षक पद सृजित करने हेतु हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करने,स्कूलों में खाली पड़े कुल 4401 में से 3712 स्नातक टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने,उर्दू शिक्षक के आरक्षित बचे पदों को पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग से भरने,उर्दू प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू लिपि की किताबें एवं पढ़ाई सुनिश्चित करने,आठवीं कक्षा में उर्दू भाषा को वैकल्पिक विषय से हटाकर मुख्य विषय में शामिल करने ,उर्दू एकेडमी एवं मदरसा बोर्ड का गठन अविलंब करने ,द्वितीय राज्य भाषा उर्दू के लिए 2007 में जारी संकल्प लागू करने ,मदरसा के आलिम और फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय से कराने की मांग शामिल हैं।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
"एक मिनिरत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

सूचना

सामग्री, कार्यों एवं सेवाओं के खरीद हेतु सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा जारी सभी निविदाएँ कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in/ संबंधित अनुषंगी कंपनी (सीसीएल, www.centralcoalfields.in) सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://coalindiatenders.nic.in एवं सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जीईएम पोर्टल https://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीद की जाती है।

बिक्री सूचना

दिवालिया एवं ऋण अशोधन संहिता, 2016 के साथ पठित भारतीय दिवालिया एवं ऋण अशोधन (परिसमापक प्रक्रिया) विनियमनों, 2016 के विनियमन 33(1) के अधीन सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण सूचना दी जाती है परिसमापन के अधीन सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों की "जैसे है जहा है के आधार पर" तथा "जैसे है जो है के आधार पर" तथा "वहा जो कुछ भी के आधार पर" तथा "बिना किसी उत्तरदायी के आधार पर" यहा नीचे उल्लेखित सारणी में उल्लेखित तारीख को बिक्री की जाएगी। संबंधित सम्पत्तियों के समक्ष उल्लेखित सारणी में विवरण के अनुसार आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि जमा की रकम जमा करना होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल www.airacutioneer.com में प्रदत्त ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये बिक्री की जाएगी। जनसाधारण से व्यक्तिगत अथवा अधिकृत एजेंट के जरिए बोली आमंत्रित की जाती है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी (रु. लाख में)	वृद्धि रकम (रु.लाख में)
1	एम.एस. प्लॉट नं. 670, सब प्लॉट सं. 670/पार्ट, वार्ड नं. 22, होल्डिंग नं. 351, थाना नं.-205, केन होटल रोड के बगले में, गुरुद्वारा के सामने, मेन रोड, मौजा-हिंदपिरी, थाना-हिंदपिरी, रांची-834001 में 14.69 डेसिमल परिमाप की भूमि साथ में पुरानी जी+1 बिल्डिंग उस पर निर्मित 6000 वर्ग फीट का कुल निर्मित क्षेत्र।	450.50	45	9

ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीखः 03.03.2022 । बोली लगाने की अंतिम तारीख/समयः 05.03.2022 को अपराह्न 2.30 बजे।

बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा नीचे उल्लेखित शर्तों के अनुसार संचालित होगीः
1. यहा ऊपर उल्लेखित अनुसूची में वर्णित सम्पत्तियों का विवरण परिसमापक की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, परंतु परिसमापक इस घोषणा से संबंधित किसी भी त्रुटि, गलत ब्यौरा अथवा गलती के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
2. बोली जमा करने के पहले सम्पत्ति तथा विनिर्देशन के बारे में निरीक्षण तथा स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी जानी वाली सम्पत्तियों के स्थल पर निरीक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को प्रकाशन की तारीख से दस्तावेज एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख तक अनुमति दी जाएगी। परिसमापक ई-नीलाम की गई सम्पत्तियों के संबंध में किसी भी तरह के प्रभार, उत्तरदायी, ऋणभार अथवा सरकार अथवा अन्य किसी के प्रति अन्य किसी भी बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति पर ऋणभार सहित संविधिक देयताओं, बकाया सम्पत्ति कर, बिजली का बकाया इत्यादि के संबंध में निजी स्वतंत्र जांच करने की सलाह दी जाती है।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को "सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक हस्तांतरण के जरिए ऊपर सारणी में उल्लेखित अंतिम तारीख तक नीचे उल्लेखित खाता-सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), खाता नं. 3183002101723867, आईएफएससी कोड पीयूएनबी0318300 में ईएमडी जमा करना होगा। ड्राफ्ट कोऑपरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिए।
4. बोलीदाताओं से अपनी बोलियां जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए "www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html" देखने का अनुरोध किया जाता है।

दिनांकः 03.02.2022 स्थानः कोलकाता तपन चक्रवर्ती परिसमापक, मैसर्स सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड; आईबीबीआई पंजी. नं. IBBI/IPA-003/IP-N000173/2018-19/12121	**संचार का पताः** इंटेलीजेंट आईपी मैनेजमेंट सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, वाईएमसीए बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 25 जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700087 liquidator.sarawgibuilders@gmail.com **पंजीकृत कार्यालयः** प्लॉट-1, ओल्ड कोर्ट हाउस कॉर्नर, टोबैको हाउस, तीसरी मंजिल, कमरा नं. 307, कोलकाता-700001 tapanchakraborty2611957@gmail.com

शपथ पत्र

मैं जितेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता स्व. लाल बाबु, निवासी–एच ई सी कॉलोनी, क्वा0 नं0 एन/311, सेक्टर–3, धूर्वा, थाना–धूर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड–834004 शपथ पत्र सं. 145 दिनांक 22.01.2022 द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करना है कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रांची नगर निगम के जन्म तिथि प्रमाण पत्र सं. B-2020: 20-90032-011232 के अनुसार वैभव प्रकाश है। मैं अपने पुत्र का नाम दिव्यांशु (स्कूल रिकार्ड के अनुसार) को बदलकर वैभव प्रकाश करवा दिया हूं। आगे से मेरा पुत्र अपने वास्ततिक नाम वैभव प्रकाश के नाम से जाना जाएगा।

सं.ए-42018/28/2021-स्था.

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
******

कमरा नं. 517, 5 वां तल, बी-2 विंग,
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003

अनुशेष (परिशिष्ट)

कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में पूर्णतः अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परामर्शदाता / परामर्शदाता के पद पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **14.02.2022** तक बढ़ा दी गई है।

2. तथापि, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, अर्हता आदि सहित अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित हैं और इन्हें 8 से 14 जनवरी, 2022 के रोजगार समाचार और विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

3. आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ **14 फरवरी, 2022** तक अधोलिखित अधिकारी को भेजा जा सकता है -

श्री सुनील कुमार महतो,
अवर सचिव (स्था.),
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
5वां तल, बी-2 विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी, नई दिल्ली – 110003

4. ऑनलाइन आवेदन (सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट में) vacancyconsultant20@gmail.com पर मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

दिनांक 27.01.2022

davp 38117/11/0051/2122

पीएम ई-विद्या
एक कक्षा एक चैनल

12 डीटीएच ई विद्या टीवी चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित अनुभवी शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत वीडिओ अब दूर-दराज के क्षेत्रों में भी घर बैठे 24 X 7 उपलब्ध है।

- एक कक्षा एक चैनल यानि कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा हेतु एक टीवी चैनल
- कक्षा 1 से 10 तक के लिए प्रतिदिन 2.5 घंटे के नवीन कार्यक्रमों का प्रसारण (24 घंटे में कुल 9 बार)
- कक्षा 11 और 12 के लिए प्रतिदिन 3 घंटे के नवीन कार्यक्रमों का प्रसारण (24 घंटे में कुल 7 बार)
- वीडिओ कार्यक्रम हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रसारित
- विद्यालयी सत्र के अनुरूप नित्य नवीन वीडियो का प्रसारण
- विद्यार्थियों के प्रश्न और शंका समाधान हेतु संवादात्मक लाइव सत्र का प्रसारण
- सभी क्यू आर कोड आधारित वीडिओ टीवी के साथ–साथ दीक्षा एप्प पर भी उपलब्ध
- साथ ही 230 रेडियो स्टेशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण
- सभी 12 डीटीएच ई विद्या टीवी चैनल डीडी फ्री डिश, डिश टीवी और जिओ टीवी एप्प पर उपलब्ध

अधिक जानकारी और सुझाव हेतु संपर्क करें:
Write to us: evidya@ciet.nic.in
Call on PM eVIDYA IVRS: 8800440559

Please visit: ncert.nic.in/ | ciet.nic.in/ | swayamprabha.gov.in/

NCERT OFFICIAL | @ncertoffical | @ncertindia | @ncert @ciet_ncert

davp 21104/15/0017/2122

प्रपत्र सं. 22 [विनियमन 37(1)]

बिक्री की घोषणा

रांची में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, झारखण्ड में वसूली अधिकारी का कार्यालय

मामला सं. ओ.ए. केस सं. 31 ऑफ 2013 में वसूली प्रक्रिया सं. 551 ऑफ 2018
आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के साथ पठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अनुसार बिक्री की घोषणा

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
बनाम
मैसर्स अतिवीर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. एवं अन्य

प्रति,
ए. मैसर्स अतिवीर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
बी. इंद्रा देवी जैन, पति स्वर्गीय रमेश कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
सी. श्री परवीन कुमार जैन, पिता रमेश कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
डी. होटल अरिहंत प्रा. लि., पता रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
ई. पटनी सीट गृह प्रा. लि., पटनी शीट गृह प्रा. लि. के नाम से भी ज्ञात, पंजीकृत कार्यालय रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
एफ. श्रीमती ऋद्धि जैन पति श्री परवीन कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ
जी. श्रीमती प्रीति जैन पति राकेश कुमार जैन, आवास रांची रोड, डाकघर मरार, थाना-मांडू, ओ.पी. कुजू, जिला-रामगढ

1. चूंकि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची** द्वारा जारी **ओ.ए. केस नं. 31 ऑफ 2013** मे वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा भुगतेय **रु. 5,51,12,909.00 (रुपये पांच करोड़ इक्यावन लाख बारह हजार नौ सौ नौ मात्र)** के साथ उस पर ब्याज एवं देय लागत की रकम चुकता करने में आप विफल हो चुके हैं।
2. तथा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लेखित कुर्क की गई सम्पत्ति की बिक्री के आदेश जारी किया है।
3. तथा चूंकि दिनांक **13.01.2022** को **रु. 5,51,12,909.00 (रुपये पांच करोड़ इक्यावन लाख बारह हजार नौ सौ नौ मात्र)** के साथ दिनांक 13.01.2013 से दावे की रकम की अंतिम वसूली तक मासिक विराम के साथ प्रतिवर्ष 10% की दर से वादाकालीन तथा भविष्य के ब्याज के अलावा रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र), प्रमाणपत्र के अनुसार, की रकम बकाया होगी।
4. **एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह के स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में ई-नीलामी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा बोलियां मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. की वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के जरिए "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" दिनांक 10.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक लगाई जाएगी साथ में जरूरत पड़ने पर दोपहर 12 बजे के उपरांत 5 मिनट की अवधि विस्तारित की जाएगी।**
और अधिक विवरण के लिए वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, सम्पर्क नं. 0651-2214021, मोबाइल नं. 9431106777 से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए सुदीप कुंडू, अधिकृत प्रतिनिधि, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि., कोलकाता से सम्पर्क करें।
4.1 ऊपर नामित प्रमाणपत्र कर्जदार की नीचे अनुसूची में किए गए उल्लेखित सम्पत्ति तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में अब तक ज्ञात देनदारियां तथा दावों, जिसका उल्लेख प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में किया गया है, के साथ संबंधित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।
4.2 अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सम्पत्ति लॉट में बिक्री के लिए रखी जाएगी। सम्पत्ति के एक हिस्से की बिक्री से अगर संतोषजनक रकम की वसूली होती है, तो शेष बची हुई सम्पत्ति की नीलामी अविलम्ब रोक दी जाएगी। उक्त प्रमाणपत्र में उल्लेखित बकाया राशि, ब्याज की लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालनकर्ता अधिकारी को प्रदान करने अथवा संबंधित प्रमाणपत्र की कीमत, ब्याज तथा लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी के पास जमा किए जाने से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले उसकी बिक्री रोक दी जाएगी।
4.3 बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का कार्य करने वाला अन्य कोई भी अधिकारी अथवा व्यक्ति बिक्री की गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित करने अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों तथा उसके अधीन गठित नियम तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अनुसार संचालित होगी।
4.4 संलग्न अनुसूची में निर्धारित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में जारी किया गया है। परंतु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा के संबंध में किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा भूल के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
5. (क) आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी का **विवरण नीचे उल्लेखित** है

अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
अनुसूची 'ए' बिक्री विलेख सं. 17564, दिनांक 28.11.2005 के तहत इंद्रा देवी जैन, प्रमाणपत्र कर्जदार नं. 2 के नाम पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति। गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरणः ग्रामः हुतपा, थाना-मुफस्सिल, थाना नं. 215, खाता नं. 10, प्लॉट नं. 920, क्षेत्रफल 0.37 एकड़, खाता नं. 14, प्लॉट नं. 922, क्षेत्रफल 0.003/4 एकड़, खाता नं. 70, प्लॉट नं. 921, क्षेत्रफल 0.001 1/4 एकड़, खाता नं. 1, प्लॉट नं. 912, क्षेत्रफल 0.09 एकड़, कुल क्षेत्रफल 0.48 एकड़। चौहद्दीः उत्तरः नारायण महतो एवं विंदी, दक्षिण एवं पूर्व-विंदी जयवीर महतो एवं अन्य, पश्चिम-शम्सू मियां, जिला-हजारीबाग।	रु. 90,00,000/-	रु. 9,00,000/-
अनुसूची 'बी' बिक्री विलेख सं. 13522, दिनांक 20.08.2004 के तहत श्रीमती ऋद्धि जैन, प्रमाणपत्र कर्जदार नं. 6 के नाम पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति। गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरणः ग्रामः सेवता, थाना-मांडू, थाना नं. 147, खाता नं. 96/138, प्लॉट नं. 980, क्षेत्रफल 0.28 एकड़। चौहद्दीः उत्तरः पटानी ऑक्सीजन (प्रा.) लि., दक्षिण-एच.एम. कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि., पूर्व-मगलू साव, पश्चिम-कॉमन	रु. 25,00,000/-	रु. 2,50,000/-

6. **इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी के साथ पैन कार्ड, पहचान के साक्ष्य, पता के साक्ष्य इत्यादि तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटर्नी प्रदान करने की पुष्टी करने वाला कोई भी दस्तावेज दिनांक 08.03.2022 को अपराह्न 4.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास जमा करना होगा तथा तदुपरांत वे दिनांक 10.03.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। अगर बोली नीलामी के बंद के समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है तो बंद होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जाएगा।**
7. **ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवीं मंजिल, आरआरडीए बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची के समक्ष जमा करना होगा।**
8. बोली वृद्धि की रकम **प्रत्येक अनुसूची के लिए रु. 1,00,000/-** होगी। बोली की रकम अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर लॉट को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
9. असफल बोलीदातागण अपनी ईएमडी की राशि ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को ईएमडी के समायोजन के उपरांत वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में बोली/बिक्री रकम की 25% राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर तैयार रखना होगा तथा उसे बैंक के अगले कार्यकारी दिवस को अपराह्न 4.00 बजे तक इस न्यायाधिकरण के पास जमा करना होगा अथवा **चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची में,** आर. पी. सं. 551 ऑफ 2018 के पक्ष में **आरटीजीएस के जरिए** करना होगा, अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता/सर्वोच्च बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तारीख से, संबंधित दिवस को छोड़कर, 15 दिनों के अंदर अथवा 15वां दिन के रविवार अथवा छुट्टी का दिन रहने पर 15वें दिन के बाद वाले प्रथम कार्यालय दिवस को वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पास बिक्री रकम के शेष 75% राशि **वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में अथवा चालू खाता नं. 31598921087, भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रपुरी शाखा, रांची,** आर. पी. सं. 551 ऑफ 2018 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अथवा आरटीजीएस के जरिए जमा करना होगा। साथ में रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष मे रु. 1,000/- तक 2% की दर से तथा संबंधित सकल रकम के 1,000/- से अधिक रहने पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क जमा करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% की राशि जमा किए जाने पर संबंधित रकम ऊपरोक्त वसूली अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।
12. निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर, नए सिरे से बिक्री की घोषणा जारी कर सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। बिक्री पर हुए खर्च की रकम की कटौती के उपरांत जमा राशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित समझे जाने पर सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा असफल क्रेता के सम्पत्ति से संबंधित सभी दावों अथवा बाद में बिक्री की जाने वाली की रकम के किसी भी हिस्से पर के दावे को समाप्त कर दी जाएगी।
13. सर्वोच्च बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उनकी द्वारा लगाई गई बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित रकम के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त पाए जाने पर सर्वोच्च बोली को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।
14. सम्पत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है" के आधार पर की जाएगी।
15. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए अनुचित पाए जाने पर किसी भी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

मेरे हस्ताक्षर के अधीन 13 जनवरी, 2022 को रांची में इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा जारी।

हस्ता/-
(कन्हैया कुमार)
वसूली अधिकारी